



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 यह चुनाव काम करने वाले और काम नहीं करने वालों के बीच : राजीव चंद्रशेखर

6 सावित्री बाई फुले : भारतवर्ष में नारी शिक्षा की प्रणेता

7 लोकसभा चुनाव महाभारत की तरह अर्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई : नकवी

मोदी सरकार की गारंटी

सबकी सुरक्षा

विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान; 220 करोड़ से अधिक टीके लगे

हमारा संकल्प विकसित भारत

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

BSE	NSE
73,502.64 (-616.75)	22,332.65 (-160.90)
सोना	चांदी
6,599 रु. (24 केन्टर) प्रति बाम	74,175 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

सीए की साख
अपराध सिर्फ इतना सा था, कुछ लोगों के थे कलुषित मन। दर-दर भटके बेगाने हो, अभिशप्त बना जिनका जीवन। जो रहे प्रताड़ित उनको अब, अधिकार मिलेगा कानूनन। जो विस्थापित अपने घर से, वो होंगे भारतवासी जन।।

देश में सीए लागू, केंद्र ने की घोषणा

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ

सीए को दिसंबर, 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी।

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीए)-2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है।

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा के पहले ही सीए से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया गया। सीए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इन तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।" प्रवक्ता ने कहा, "आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।" एक अधिकारी ने कहा कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

सीए को दिसंबर, 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे।

यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। शाह ने 'एक्स' पर कहा, "इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं के वादे को साकार किया है।"

इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं के वादे को साकार किया है। - अमित शाह

नियमों की अधिसूचना जारी करने के लिए नौ बार अधि में विस्तार की मांग करने के बाद चुनाव से ठीक पहले का समय स्पष्ट रूप से चुनावों में धुंधीकरण करने के लिए तय किया गया है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। - जयराम रमेश

सीए नहीं छीनेगा किसी भारतीय की नागरिकता

नई दिल्ली/भाषा। संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीए), 2019 किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सीए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लेने वालों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। नागरिकता अधिकार उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान की रक्षा करेगा तथा यह आर्थिक, वाणिज्यिक, मुक्त आवाजाही और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। उत्पीड़ित छह समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि यह कानून पुनर्वास के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करेगा और नागरिकता प्रदान कर दशकों से पीड़ित शरणार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा।

जब हमारे अपने त्योहार में घर से दूर होते हैं

तब आप हमारा परिवार बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं

- प्रधानमंत्री जी हर दिवाली बिताते हैं सेना के जवानों के साथ
- सर्जिकल-एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर प्रहार
- अत्याधुनिक हथियारों से सेना की बढ़ाई क्षमता
- डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी
- वन रैंक-वन पेंशन से ₹ 95 हजार करोड़ का भुगतान

देश की सुरक्षा दमदार

मेरा भारत, मेरा परिवार

DR-22201/13/0346/2324

